



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-11

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 244944 दिनांक 26/08/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Gaurav Solanki S/o DEVENDR A SINGH SOLANKI	श्री बलजिन्दर सिंह अटवाल पुत्र श्री गुरुमुख सिंह अटवाल	386	243.00 SQ. YARD	Cooperative	GAYATRI NAGAR-A (NAVJEE VAN GNSS)	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री बलजिन्दर सिंह द्वारा दिनांक 28.04.2015 को श्री राम गोपाल सिंघल पुत्र श्री किरोड़ी लाल सिंघल के पक्ष में भूखण्ड का अविभाजित 66 प्रतिशत व श्री तरुण राठी पुत्र श्री यशपाल राठी के पक्ष में भूखण्ड का अविभाजित 34 प्रतिशत बाबत निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, श्री रामगोपाल सिंघल व श्री तरुण राठी द्वारा दिनांक 20.04.2016 को उक्त भूखण्ड बाबत श्रीमती सुषमा सोलंकी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पत्नी श्री देवेन्द्र
सोलंकी के पक्ष
में निष्पादित
रजिस्टर्ड विक्रय,
श्रीमती सुषमा
सोलंकी व श्री
देवेन्द्र सोलंकी
का मृत्यु प्रमाण
पत्र, वारिसान्
सजरा शपथ पत्र
तथा भूखण्ड
संख्या 386 का
जविप्रा से जारी
मूल पट्टा
विलेख गुम होने
बाबत गुमशुदगी
दर्ज की रिपोर्ट

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Gaurav Solanki S/o DEVENDRA SINGH SOLANKI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |